

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन शाखा)

आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक: बी0-111-102(0001)/2014-11/आ0 दिनांक: 17.04.2014 के द्वारा शीर्ष 2015-निर्वाचन-102 निर्वाचन अधिकारी- 0001-मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना अन्तर्गत वेतन भत्ते मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त आवंटन को निम्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुंगेर जिला को कॉलम 4, 7, 10, 13 एवं 16 में अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्र 0	पदाधिकारी का पदनाम	वेतन 01 01			जी0 या0 भत्ता 01 03			मकान किराया भत्ता 01 04		
		पूर्व में आवंटित	वर्तमान में आवंटित	कुल आवंटित	पूर्व में आवंटित	वर्तमान में आवंटित	कुल आवंटित	पूर्व में आवंटित	वर्तमान में आवंटित	कुल आवंटित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	0.00	614000.00	614000.00	0.00	614000.00	614000.00	0.00	42000.00	42000.00
योग =		0.00	614000.00	614000.00	0.00	614000.00	614000.00	0.00	42000.00	42000.00

क्र0	पदाधिकारी का पदनाम	चिकित्सा भत्ता 01 06			अन्य भत्ता 01 07		
		पूर्व में आवंटित	वर्तमान में आवंटित	कुल आवंटित	पूर्व में आवंटित	वर्तमान में आवंटित	कुल आवंटित
1	2	12	13	14	15	16	17
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	0.00	6000.00	6000.00	0.00	600.00	600.00
योग =		0.00	6000.00	6000.00	0.00	600.00	600.00


- उप आवंटित राशि का व्यय शीर्ष 2015-निर्वाचन-102 निर्वाचन अधिकारी- 0001-मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना के अन्तर्गत उपर्युक्त इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलित होगा।
- उपावंटित राशि मांग संख्या-06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड- एन 2015001020001 है।
- यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक: एम-4-05/98/2561वि0(2) दिनांक:17.04.1998, पत्रांक-ब-17/बी0एस0जी0-07/2014-253/वि0 दिनांक: 11.03.2014 एवं पत्रांक-ब-17/बी0एस0जी0-07/2014-310/वि0 दिनांक: 28.03.2014 के आलोक में आवंटित है।
- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस उपावंटित राशि का व्यय किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
- इस राशि से विगत के वर्षों के किसी भी बकाया का भुगतान (षष्ठम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप नियमानुसार देय बकाया वेतनादि का किरस्त एवं वित्त विभागीय संकल्प सं0-1789 दिनांक:20.02.2014 के आलोक में स्वीकृत हड़ताल अवधि के वेतनादि के भुगतान को छोड़कर) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

8. नियमानुसार श्रोत पर आयकर की कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाय।
10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

ह0/-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 1958 /नि0, दिनांक: 26/04/14

- प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।